

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प. 4(4)शिक्षा/ग्रुप-3/2023-03783

जयपुर, दिनांक :-25.06.2024


आज्ञा

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष निजी विंग के क्रम संख्या-11 के सम्मुख कॉलम संख्या-7 में गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित निजी सचिव को वरिष्ठ निजी सचिव (Pay Matrix Level : L-16) के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की दिनांक	अभ्युक्ति
1.	श्री विश्वम्बर दयाल शर्मा	सामान्य	15-07-1965	17-03-2023	-

उक्त पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति का परिलाभ उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से काल्पनिक एवं वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)  
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव-प्रथम



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdadmncce@gmail.com](mailto:jdadmncce@gmail.com)

Ph. NO. 0141-2702247 (0)

क्रमांक: एफ.1(03)पीएस/आकाशि/2023-08304

दिनांक: हस्ताक्षर दिनांक

**विषय:**— निजी सचिव को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के प्रति पदोन्नति बाबत प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प. 4(4)शिक्षा/गुप-3/2023-03783 जयपुर, दिनांक 25-06-2024 के पृष्ठांकन बाबत।

(प्रो. अनिल कुमार यादव)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्थापना शाखा/रोकड़ शाखा।
8. संबंधित कार्मिक।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Yadav

Designation : Joint Director

Date: 2024.06.25 14:32:57 IST

Reason: Approved



RajKai Ref  
9364283

